

## इंडियन नेवीगेटर

- \*५१. श्री म० ला० द्विवेदी :  
 श्रीमती इला पाल्मचीवरी :  
 श्री अमजद अली :  
 श्री अजीत सिंह सरहदी :  
 श्री रघुनाथ सिंह :  
 श्री प्र० चं० बरुआ :  
 श्री रामेश्वर टांटिया :  
 श्रीमती मफीदा अहमद :  
 श्री नवल प्रभाकर :  
 श्री नाथ पाई :  
 श्री हेम बरुआ :  
 श्री आसर :  
 श्री सुब्बय्या अम्बलम् :  
 श्री यादव नारायण जाधव :  
 श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को "इंडियन नेवीगेटर" नामक भारतीय जहाज में आग लगने के क्या कारण थे जिस के फलस्वरूप जहाज जल गया और ब्रिटेनी के निकट उशंट द्वीप के पास डूब गया;

(ख) इस के फलस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई;

(ग) समुद्र में सहायता देने के लिये उस अभाग जहाज पर अंधेरे में जो तेरह उद्धारक चढ़ गये थे उन में से कितनों की मृत्यु हो गई; और

(घ) इस सम्बन्ध में और क्या जानकारी प्राप्त हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). इस विषय में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

## विवरण

मेसर्स इण्डियन स्टीमशिप कंपनी लि० कलकत्ता का एस० एस० 'इण्डियन नेवीगेटर' (७६६० जी० आर० टी०—१०७१९ डी० डब्ल्यू० टी०) जहाज जो भारत व यूनाइटेड किंगडम तथा भारत व अन्य यूरोपीय देशों के बीच होने वाले व्यापार में प्रयुक्त होता था, ३१-१२-६० को डेक पर आग लग जाने के कारण २-१-६१ को ग्रीनविच समय २३-०० बजे उशण्ट के पास समुद्र में डूब गया था । इस आग के परिणामस्वरूप माल तथा जहाज दोनों पूरी तरह नष्ट हो गये थे । इस दुर्घटना में एक जान गयी ।

इस की आरंभिक जांच वाणिज्य नौचालन अधिनियम १९५८ के अधीन वाणिज्य नौपरिवहन विभाग कलकत्ता द्वारा की जा रही है । संभवतः इस जांच से इस विनाशकारी आग के लगने के कारणों का कुछ पता लग सके ।

इस दुर्घटना में बचाव का काम करने वाले इण्डियन सर्वेस नामक जहाज के तेरह आदमी लापता हैं और अनुमान किया जाता है कि ये सभी व्यक्ति हताहत हो गये हैं ।

इस दुर्घटना में बचे हुए आदमियों में से एक को छोड़ जिस की चिकित्सा यूनाइटेड किंगडम के एक अस्पताल में हो रही है सभी व्यक्ति वापस लाये जा रहे हैं और उन्हें बाकी वेतन तथा दुर्घटना में हुई निजी सामान की क्षति का हरजाना दिया जा रहा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो बयान सभा पटल पर रखा गया है उसमें लिखा है कि जहाज पर आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है । मैं जानना चाहता हूँ कि जांच कितने दिनों में पूरी होगी और इसका पूरा पूरा विवरण कब मिल सकेगा ?

श्री राज बहादुर : यह हमारा कर्तव्य है और हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना

चाहते हैं और चाहते हैं कि जांच में कोई देरी न लगे। किन्तु इसके जो चीफ़ ऑफिसर हैं वह अस्वस्थ अवस्था में यू० के० में हैं और उनका बयान होना आवश्यक है। यदि वह न आ सकें तो जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनकी वहाँ भेजा जायेगा। जब तक उनका बयान न हो, उस वक्त तक जांच पूरी नहीं कही जा सकती है।

**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूँ कि जो १३ आदमी सालवेज के लिए गये थे, बचाने के लिए गये थे और अंधेरे में जो पानी में डूब गये, उनकी बचाने का क्या कोई प्रयत्न किया गया और क्या कठिनाइयाँ सामने आईं जिन से कि वे डूब कर मर गये ?

**श्री राज बहादुर :** सालवेज के वास्ते ये लोग गये थे किन्तु खेद और दुःख की बात है कि उनकी जानें इसमें गईं। किस स्थिति में उनकी जानें गईं और कैसे उनकी जानें गईं ये सब जांच के विषय हैं और मेरे लिए यह उचित नहीं होगा कि जांच के परिणामों से पहले मैं किसी प्रकार का कोई मत या राय उसके बारे में यहाँ व्यक्त करूँ।

**Shrimati Mafta Ahmed :** May I know whether the Government have any information why the Salvage party was sent to the burning vessel when it had already been declared abandoned and whether any enquiry has been instituted to probe into the matter?

**Shri Raj Bahadur :** I sincerely wish I could answer, but I am not in a position to do so, particularly because it is a subject matter of enquiry and unless the enquiring officer expresses any opinion about it in the report which we expect, it is not wise for me to say anything about it.

**Shri Muhammad Elias :** Under the Sea Vessels Act, no ordinary cargo ship is allowed to carry explosive materials. May I know why the

Indian Navigator was carrying explosive material as a result of which fire broke out and valuable lives were lost?

**Shri Raj Bahadur :** In the question, the hon. Member assumes certain things which I am not in a position to deny or affirm, because it is, again, a matter of enquiry, what type of cargo this Indian Navigator was carrying.

**Shri Indrajit Gupta :** I find from the statement, there is mention of compensation paid to survivors. May I know whether any compensation has been paid to the families of the 13 people who lost their lives, because, I am given to understand according to terms of the contract, their families are entitled to Rs. 17,000 each as compensation? Has this amount been paid or not?

**Shri Raj Bahadur :** There are three categories of workers involved normally in such compensation cases: crew, who are entitled to compensation under the Workmen's Compensation Act, officers who are entitled to compensation under articles 10 and 19 of the agreement with the Maritime Union of India and dependants of cadets in which case compensation is awarded ex-gratia by the companies concerned. Under all these three respective categories, dependants of the unfortunate victims are to get compensation.

**Shri Indrajit Gupta :** Have they received compensation?

**Shri Raj Bahadur :** I cannot say whether they have received compensation. I think steps are being taken to expedite payment of compensation.

**Shri Raghunath Singh :** It appears from the papers that salvage tugs of the U.K., France and the Dutch were also present there. May I know whether they dared to save this Indian ship?

**Shri Raj Bahadur:** It is too much for me to say before we get in this matter a report from the officer who has been appointed to enquire into the unfortunate tragic accident.

**श्री म० ला० द्विवेदी :** जो सरव इवर्न हैं जो बचकर, रिपेट्रिट हो करके लौट कर भारत आये हैं क्या उनका कोई बयान भी अब तक लिया गया है और यदि लिया गया है तो उस बयान का क्या मतलब है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो कम्पेंसेशन और वेजिज दी गई है उनका कितना एमाउंट है ?

**Mr. Speaker:** The latter portion was asked.

**श्री राज बहादुर :** जो सरवाइवर्स आये हैं उनमें इंडियन नेविगेटर के जो सरवाइवर्स थे वे सब आ चुके हैं सिवाय एक के जोकि मिस्सिंग थे या चीफ आफिसर के जोकि ५० के० के निवासी हैं, वहां के नागरिक हैं और जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, अस्वस्थ हैं। जहां तक कम्पेंसेशन का प्रश्न है, मैं अभी उसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ।

**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैंने पूछा था कि सरवाइवर्स ने जो बयान दिये हैं, उसका क्या मतलब है ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है।

**श्री राज बहादुर :** इन्वार्परी आफिसर्स जो जांच कर रहे हैं, वह बयान उनका वेगे लेकिन मुख्य बयान जो होगा वह चीफ आफिसर का होगा जिसके बारे में मैं तीसरी बार निवेदन करना चाहता हूँ कि वह बीमार है लन्दन में और अगर आवश्यक हुआ तो जांच करने वाले अधिकारी को वहां भेजा जायेगा।

**Mr. Speaker:** Next question.

**Shri Hem Barua:** May I ask a question?

**Mr. Speaker:** Shri Hem Barua came late.

**Shri Hem Barua:** I am sorry. May I know how long this enquiry committee would take to enquire into the accident and whether any preliminary information is gathered from those people who have survived this catastrophe?

**Mr. Speaker:** He said that the enquiry is there.

**Shri Raj Bahadur:** There are two enquiries: one about the Indian Navigator and the other about the Indian success relating to the 13 officers or men who went in the salvage party. Both the enquiries are or will be proceeding. It is not wise for me to anticipate the findings and results of the enquiries.

#### Protective Foods

\*52. **Shri V. P. Nayar:** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the availability of protective foods has not recorded any increase in per capita consumption since the commencement of the First Five Year Plan; and

(b) if so, the reasons therefor?

**The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas):** (a) No. Available information shows that there has been some increase in per capita availability of protective foods like milk, fish, eggs, meat, oils and fats and pulses since the commencement of the First Five Year Plan.

(b) Does not arise.

**Shri V. P. Nayar:** Do I take it from the answer of the Deputy Minister that the relation between nutritional disorders and protective foods has registered any remarkable change during this period?

**Shri A. M. Thomas:** Yes. There has been some change. For example, in the matter of fish, it was in 1951, 1.86 kilograms per year. The available information is for 1958. It is 2.31 kg.